

खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
संख्या 2-18/2011-पीएन-1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(पॉलिसी नॉर्म्स-1 अनुभाग)

.....

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
दिनांक 11 जून, 2015

संकल्प

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देने हेतु सर्वोच्च निकाय है, की स्थापना पहली बार 1920 में की गई थी। मितव्ययता के उपाय के रूप में 1923 में इसे भंग कर दिया गया था तथा 1935 में इसका पुनः गठन किया गया। तत्पश्चात् 1994 तक यह लगातार अस्तित्व में रहा। सीएबीई के परामर्श पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा इसने शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श एवं जांच के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। केब को तीन वर्ष की अवधि के लिए 12 दिसंबर, 2008 को और तदुपरांत 18 मई, 2012 को पुनर्गठित किया गया। इसका कार्यकाल अब 17 मई, 2015 को समाप्त हो गया है। देश में

विशेष रूप से घट रहे सामाजिक-आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक घटनाक्रमों और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे व्यापक सुधारों के मद्देनजर सीएबीई को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अतः, यह वांछनीय है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें, शिक्षाविद तथा विभिन्न अभिरुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने की एक ऐसी भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया विकसित करें जो हमारे राज्य-तंत्र के संघीय ढांचे को मजबूत बनाए।

2. तदनुसार, भारत सरकार ने सीएबीई का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। सीएबीई के सदस्यों की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

3. सीएबीई के कार्य निम्नलिखित होंगे :

- क) समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करना;
- ख) केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, किस प्रकार तथा किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, उसका आकलन करना तथा इस संबंध में समुचित परामर्श देना;
- ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु परामर्श देना;
- घ) शिक्षा संबंधी किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी संघ क्षेत्र प्रशासन को स्वतः प्रेरणा से अथवा सलाह मांगने पर परामर्श देना; तथा
- ड) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना।

4. इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड :

- i. किसी भी सरकारी संस्थान, किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति से सूचना और टिप्पणियां मांगेगा;
- ii. आवश्यकता होने पर, सीएबीई के सदस्यों और/अथवा अन्य व्यक्तियों को शामिल करके समितियां अथवा दल नियुक्त करेगा; और

- iii. किसी भी ऐसे विशिष्ट विषय, जिस पर इस बोर्ड अथवा इसकी समितियों या दलों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, के बारे में सरकार अथवा अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से अध्ययन कराएगा।

5. (क) कार्यकाल :

सीएबीई का कार्यकाल इसके संकल्प की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

(ख) आकस्मिक रिक्तियाँ :

- i. सदस्यों के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियाँ, पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा भरी जाएंगी, जो रिक्त पदों पर सदस्यों का नामांकन अथवा चयन करेंगे।
- ii. आकस्मिक रिक्ति पर चयनित अथवा नामांकित व्यक्ति बोर्ड में उस सदस्य के शेष कार्यकाल तक ही सदस्य रहेगा, जिसका स्थान रिक्त होने पर इस व्यक्ति ने ग्रहण किया है।

(ग) बैठकें :

बोर्ड की प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होगी तथा बोर्ड की दो परामर्श बैठकों के बीच एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

(घ) कार्यसूची :

- i. बैठकों की कार्यसूची, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा कार्यवाही के रिकॉर्ड/कार्यवृत्त आदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार द्वारा तैयार एवं परिचालित किए जाएंगे।
- ii. कार्यसूची तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन सामान्यतया बोर्ड की बैठक की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले सदस्यों के बीच परिचालित कर दिए जाएंगे।

(ड) कोरम :


बोर्ड की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई होगा।

(च) कार्य-प्रणाली :

उपर्युक्त में जिन मामलों का प्रावधान नहीं है, उनके संबंध में बोर्ड अपनी कार्य-प्रणाली अपनाएगा।

(छ) सामान्य :

प्रक्रियागत खामी अथवा किसी भी श्रेणी की सदस्यता के तहत रिक्ति के कारण बोर्ड की कोई कार्रवाई अवैध नहीं मानी जाएगी।




(राकेश रंजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23071486

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा भारत के राजपत्र की एक मुद्रित प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाए।



(राकेश रंजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

एनआईटी फरीदाबाद

हरियाणा - 121 001

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य/आमंत्रि।
2. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सभी संबंधित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त सांविधिक निकाय
5. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिव।
6. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
7. प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
9. लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सभा सचिवालय, संसद सौध, नई दिल्ली
11. वेबमास्टर, सीएमआईएस, (मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुख/प्रभाग प्रमुख
13. सीएबीई गार्ड फाइल/सामान्य गार्ड फाइल।

(राकेश रंजन)

(राकेश रंजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव/ मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री (आरएसके) के निजी सचिव/ मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री (यूके) के निजी सचिव
2. सचिव के पीएसओ (उच्चतर शिक्षा)-सह-सदस्य सचिव (सीएबीई)।
3. सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) के पीएसओ।

(राकेश रंजन)

(राकेश रंजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना

1. **अध्यक्ष**
मानव संसाधन विकास मंत्री
2. **उपाध्यक्ष**
 - (i) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
 - (ii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
3. **भारत सरकार के प्रतिनिधि**
 - (i) महिला एवं बाल विकास मंत्री
 - (ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
 - (iii) सूचना और प्रसारण मंत्री
 - (iv) श्रम एवं रोजगार मंत्री
 - (v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
 - (vi) विधि एवं न्याय मंत्री
 - (vii) अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
 - (viii) जनजातीय कार्य मंत्री
 - (ix) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
 - (x) कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
 - (xi) संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
 - (xii) युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि**
 - i) प्रत्येक राज्य सरकार के एक-एक शिक्षा के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा)
 - ii) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उप राज्यपाल अथवा शिक्षा के प्रभारी मंत्री
5. **संसद (लोक सभा/राज्य सभा) द्वारा चुने गए प्रतिनिधि**
 - i) लोक सभा से 4 संसद सदस्य
 - ii) राज्य सभा से 2 संसद सदस्य

6. पदेन सदस्य

- i) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- ii) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- iii) सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
- iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- v) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
- vi) अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
- vii) अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्
- viii) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
- ix) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्
- x) अध्यक्ष, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्
- xi) अध्यक्ष, भारतीय केंद्रीय औषधि परिषद्
- xii) अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद्
- xiii) अध्यक्ष, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
- xiv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
- xv) अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
- xvi) महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
- xvii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
- xviii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- xix) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)
- xx) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
- xxi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
- xxii) अध्यक्ष, द इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया)

7. विश्वविद्यालयों के कुलपति/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अध्यक्ष

- i) प्रोफेसर सैय्यद ए बारी, कुलपति, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय
- ii) प्रोफेसर जे.एल. कौल, कुलपति, एचएनबी गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखण्ड)

- iii) प्रोफेसर चन्द्रकला पाडिया, चेयरपर्सन, आईआईएस
- iv) प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, निदेशक, आईआईटी, कानपुर
- v) श्री सुधीर के. जैन, निदेशक, आईआईटी, गांधीनगर
- vi) डॉ. सुशील वाचानी, निदेशक आईआईएम, बंगलौर
- vii) डॉ. गीता बाली, अध्यक्ष, एनआईटी, भोपाल
- viii) प्रोफेसर आई. के. भट्ट, एमएनआईटी, जयपुर

8. नामित सदस्य - भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि

(क) शिक्षा में अभिरुचि रखने वाले उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

- i) श्री मनीष सब्बरवाल, टीम लीज इंडिया
- ii) श्री संजीव बिकचंदानी, उद्यमी, इन्फो ऐज इंडिया लिमिटेड

(ख) सुप्रसिद्ध शिक्षविद/प्रौद्योगिकीविद/वैज्ञानिक

- i) स्वामी आत्मप्रियानंद, कुलपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, बेलूर मठ
- ii) श्री रामजी राघवन, अध्यक्ष, अगस्त्यअंतर्राष्ट्रीय संघ
- iii) डॉ. विजय भाटकार, अध्यक्ष, शासी मंडल, आईआईटी, दिल्ली
- iv) श्री अनिर्बान गांगुली, निदेशक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनुसंधान संघ

(ग) विशेष अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करने वाले

व्यक्ति(अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्त व्यक्ति)

- i) सुश्री इंदुमति राव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल भवन
- ii) डॉ. जोराम बेगी, पूर्व निदेशक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार
- iii) सुश्री अंजली देशपाण्डे, संस्थापक सचिव 'दृष्टि' स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र, पुणे
- iv) प्रोफेसर एम. के. श्रीधर, केनरा बैंक, प्रबंध अध्ययन स्कूल में प्रोफेसर (सीबीएसएमएस), बंगलौर

(घ) स्कूल शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- i) श्री विनायक लोहनी, परिवार संगठन के संस्थापक
- ii) श्री दिलीप रांजेकार, सीईओ, आजिम प्रेमजी प्रतिष्ठान

(ङ.) रचनात्मक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- i) सुश्री स्वरूप संपत, अभिनेत्री
- ii) सुश्री मंजू सिंह, मीडिया व्यवसायी और अभिनेत्री

(च) विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- i) डॉ. पंकज त्रिम्बक चांदे, पूर्व कुलपति, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
- ii) डॉ. नाहिद आबिदी, पद्मश्री, साहित्य और शिक्षा

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- i) श्री लतीफ मागदम, सचिव, महाराष्ट्र कॉस्मोपोलिटन एजुकेशन सोसायटी, पुणे

9. मीडिया के प्रतिनिधि

श्री धीरेन्द्र नाथ बेजबरूआ

10. सदस्य सचिव

सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

11. स्थायी आमंत्रित सदस्य

- i) सीईओ, नीति आयोग
- ii) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा आईसीएआर के महानिदेशक
- iii) सचिव, संस्कृति मंत्रालय
- iv) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- v) सचिव, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- vi) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- vii) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- viii) सचिव, खेल विभाग
- ix) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

- x) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- xi) सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- xii) सचिव अन्तर-राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय
- xiii) सचिव, युवा कार्य विभाग